संख्या : 2291/अड़तीस–7–2012–200नरेगा/2009
अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी,
गोरखपुर/इलाहाबाद/देवरिया/कुशीनगर/सुल्तानपुर/
सोनभद्र/वाराणसी/फैजाबाद/महाराजगंज/बलरामपुर/
चंदौली/रामपुर/सहारनपुर/बांदा/मथुरा/प्रतापगढ़/
रायबरेली/कानपुर देहात/कानपुर नगर/लखनऊ/
हमीरपुर/फर्रूखाबाद।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई, 2013

विषय: **पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों का गठन न किए जाने के कारण सोशल आडिट प्रक्रिया का अवरूद्ध हो जाना।**

महोदय,

मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष में जून, 2013 से सितम्बर, 2013 तक के बीच उन सभी ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट सम्पन्न कराया जाना है जिनमें मनरेगा के अर्न्तगत वर्ष 2011–12 या 2012–13 में रू0 10.00 लाख या उससे अधिक का व्यय हुआ हो। सोशल आडिट के दायित्वों का निर्वाह भारत सरकार की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 के अर्न्तगत ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों द्वारा किया जाना है।

2– सोशल आडिट टीमों के गठन के सम्बन्ध में आपको शासनादेश सं0 2245/अड़तीस–7–2012–200नरेगा/2009 दिनांक 4–10–2012 द्वारा निर्देश भेजे गए हैं। तदुपरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा शासनादेश संख्या 2962/अड़तीस–7–12–324 नरेगा/2012 टी0सी0 दिनांक 9–1–2013 द्वारा तत्परता से कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है। किन्तु यह खेदजनक है कि अभी तक आपके जनपद के किसी भी विकास खण्ड में टीमों का गठन नहीं हो सका है और प्रगति **"शून्य"** है।

3– प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय फेज के अर्न्तगत अनेक जनपदों में सोशल आडिट की प्रक्रिया को गति दिया जा रहा है किन्तु आपके जनपद में सोशल आडिट टीमों का गठन न हो पाने के कारण ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट ग्रामसभा की तिथियॉ निर्धारित करते हुए सोशल आडिट के लिए कलेण्डर जारी किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में निदेशक, सोशल आडिट ने भी अपने पत्र संख्या 104/सो.आ.नि.–318/2013 दिनांक 01–7–2013 द्वारा टीमों के गठन हेतु आपको स्मरण दिलाया है।

4– अतः आपके जनपद में ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट प्रारम्भ हो सके, इस हेतु आपसे अपेक्षित है कि कृपया अपने जनपद में जितनी संख्या में मनरेगा के अर्न्तगत वर्ष 2011–12 या 2012–13 में रू0 10.00 लाख या उससे अधिक व्यय करने

वाली ग्राम पंचायतें हों, उतनी ही संख्या में अतिशीघ्र सोशल आडिट टीमों का गठन करने का कष्ट करें। टीमों के गठन होते ही इसकी सूचना निदेशक, सोशल आडिट को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजें, ताकि निदेशालय द्वारा आपके जनपद में गठित सोशल आडिट टीमों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट कलेण्डर जारी किया जा सके।

भवदीय,

Singhal 12/7

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 2211(1)/अड़तीस–7–2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।